

28.03.2026

उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से पेश किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता दिनांक 19.03.2026 का जवाब विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से पेश किया गया, जिसकी नकल विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी को दिलाई गई।

बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये तर्क पेश किया गया है कि हस्तगत वाद में वसीयत प्रदर्श-2 दिनांक 03.10.2004 जो कि श्रीमती विमला देवी ने निष्पादित की है, जो रेकार्ड पर है, जिसके गवाह श्री किरण बलवन्त राय नायक के बयान वी.सी. के माध्यम से लिये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.02.2026 को यह निष्कर्ष देते हुए खारिज किया गया कि वसीयत के गवाह किरण बलवन्तराय नायक चलने-फिरने में असमर्थ हो, गवाह को चिकित्सक ने यात्रा करने से इन्कार किया हो, ऐसा कोई भी चिकित्सकीय दस्तावेज व बीमारी से संबंधित दस्तावेज प्रतिवादी की ओर से न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि GMERS Medical College Hospital जिला नवसारी (गुजरात) के डॉक्टर द्वारा गवाह किरण बलवंत राय नायक की बीमारी के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि गवाह किरण बलवंत नायक Bilateral Knee Joint Osteoarthritis की बीमारी के कारण यात्रा करने में असमर्थ है। उनका यह भी तर्क है कि वसीयत प्रदर्श-1 रतनलाल भीमराज ने निष्पादित की, जिसके गवाह के बयान लेखबद्ध किये जा चुके हैं। प्रदर्श-2 वसीयत का गवाह किरण बलवंत राय नायक है, जिसके बयान कराया जाना आवश्यक है। गवाह किरण बलवंत राय का शपथ-पत्र दिनांक 26.12.2025 को प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र दिनांक 25.02.2026 के पश्चात का है। अतः ऐसी स्थिति में गवाह किरण बलवन्त राय नायक के बयान वी.सी. के माध्यम से लिये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रतिवादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क पेश किया गया है कि गवाह किरण बलवन्तराय नायक के बयान जरिये वी.सी. लिये जाने के संबंध में समान तथ्यों पर पूर्व में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 25.02.2026 को खारिज किया जा चुका है। हस्तगत वाद में गवाह श्रीमती विमला द्वारा दिनांक 30.10.2004 को निष्पादित वसीयत प्रदर्श-2 का गवाह है, जिसके बयानों के दौरान दस्तावेज

दिखाने एवं पठित करवाने बाबत विस्तृत प्रतिपरीक्षण किये जाने के कारण ऐसे महत्वपूर्ण गवाह की साक्ष्य जरिये वी.सी. लेखबद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश विधिसम्मत होने के कारण उसे हस्तगत प्रार्थना-पत्र से निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत वाद वादी द्वारा दिनांक 17.04.2003 को रतनलाल भीमराज मित्तल तथा दिनांक 03.10.2004 को श्रीमती विमला देवी द्वारा निष्पादित वसीयतों को निरस्त करवाने बाबत पेश किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह तथ्य सही है कि पूर्व में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया ऐसा प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय द्वारा खारिजशुदा है, परन्तु इस न्यायालय ने जो आधार प्रार्थना-पत्र में दिये गये हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण आधार यह था कि प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य जरिये वी.सी. रेकार्ड करने के संबंध में किसी भी चिकित्सक का प्रमाण-पत्र नहीं दिया था। तत्पश्चात वर्तमान प्रतिवादी द्वारा GMERS Medical College Hospital जिला नवसारी (गुजरात) द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र दिनांक 16.03.2026 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेखित है कि

This is to certify that Mr. Kiran Balwantraai Naik Age-67 Years Male R/o. Shakti Nagar Chhapara Road Navsari with OPD case No. 20260020088 is having Bilateral Knee Joint Osteoarthritis Since 15 year. Patient having difficulty in cross leg sitting, Standing and Squatting. Patient also had difficulty in long time travelling and stair climbs and he is not in position to travel.

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि GMERS Medical College Hospital जिला नवसारी (गुजरात) द्वारा जो प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वह प्रमाण-पत्र झूठा, फर्जी, बनावटी, कूटरचित हो, ऐसा कोई तथ्य वर्तमान में पत्रावली पर नहीं है। यह तथ्य अविवादित है कि प्रतिवादी प्रार्थी साक्षी किरण बलवन्तराय नायक 67 वर्ष का है, जो 15 वर्ष से Bilateral Knee Joint Osteoarthritis की बीमारी से पीड़ित है। मानवीय संवेदना, करुणा तथा न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि जहां तक संभव हो, न्यायालय को पक्षकारों के बीच न्याय सुनिश्चित करना चाहिए तथा ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा कठोर रुख अपनाये जाने से न्याय की हानि होना संभव है। यह न्यायालय ऐसी स्थिति में तथा वाद के सम्पूर्ण परिपेक्ष्य में प्रतिवादी द्वारा Bilateral Knee Joint Osteoarthritis की बीमारी के संबध में न्यायालय में प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र तथा उस प्रमाण-पत्र के

साथ शपथ-पत्र दिये जाने के कारण न्यायालय के विनम्र मत में यह प्रार्थना-पत्र इस प्रक्रम पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप प्रतिवादी की ओर से गवाह किरण बलवन्तराय नायक की साक्ष्य जरिये वी.सी. लेखबद्ध करवाये जाने बाबत पेश किया गया प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्य.प्र.सं. दिनांकित 19.03.2026 स्वीकार किया जाकर गवाह किरण बलवन्तराय नायक की साक्ष्य जरिये वी.सी. लेखबद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान से अपेक्षा की जाती है कि उक्त दिवस को किसी भी सूरत में गवाह से जिरह का स्थगन का प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पत्रावली जिरह जरिये वी.सी. डी.डब्ल्यू-3 किरण बलवन्तराय नायक हेतु दिनांक 18.04.2026 को पेश हो।

(विक्रान्त गुप्ता)

जिला न्यायाधीश, अजमेर।